

लेकिन यह चीज तब हो सकती है जब हम में डिसिप्लिन हो। जब हम नियंत्रित हो जायें, तब कानून की आवश्यकता नहीं होगी। यह ठीक है कि अगर कानूनों पर ठीक ढंग से अमल न हो, तो कानून नहीं बनने चाहियें। लेकिन जब बड़े बड़े कानून बन रहे हैं तब इस छोटे से समाज सुधार के कानून को रोकना ठीक नहीं है।

राजकुमारी जी ने एक चीज यह कही कि यह काम सोशल वेलफेयर बोर्ड के सुपुर्द करना चाहिये। मेरा यह विचार है कि यह कानून सोशल वेलफेयर बोर्ड के विरुद्ध नहीं है बल्कि उसके काम का पूरक है। इससे सोशल वेलफेयर बोर्ड को सहायता मिलेगी और सोशल वेलफेयर बोर्ड से इसको सहायता मिलेगी। इसलिये इसको इंटरफियरेंस न कह कर सहायता कहना चाहिये।

श्री प्रकाश नारायण सप्रू : मगर बोर्ड कंट्रोल कैसे करेगा ?

श्री नवाबसिंह चौहान : रुल्स बना करके। जिस तरह से और चांज सुपरवाइज को जा रही हैं, उसी तरह से यह चांज भी सुपरवाइज को जायेगी। इतनी ऐंफिशिएंस होते हुए, इतनी पुलिस और सी० आई० डी० होता हुए जिस तरह से आप चोरियां, डकैतियां और कत्ल सुपरवाइज कर रहे हैं, उसी तरह से इसको सुपरवाइज कर लीजियेगा। जब इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं तो क्या यह छोटा सा काम नहीं होगा। मैं समझता हूं कि यह काम जरूर होगा और इस काम में हर तरीके से चारों ओर से मदद मिलेगी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You want more time?

श्री नवाबसिंह चौहान : मैं जल्दी ही खत्म कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : एक बज रहा है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You may continue after lunch. There is an announcement by the Minister of Parliamentary Affairs.

ANNOUNCEMENT RE GOVERNMENT BUSINESS FOR THE WEEK COMMENCING 24TH AUGUST, 1959

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SATYA NARAYAN SINHA): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House for the week commencing 24th August, 1959 will consist of—

1. Discussion on the Resolution approving the Proclamation issued by the President under Clause (i) of Article 356 of the Constitution in relation to the State of Kerala.
2. Consideration and return of the International Monetary Fund and Bank (Amendment) Bill, 1959, as passed by Lok Sabha.
3. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.
4. Discussion on Food Situation in the country on a motion to be moved by Shri Bhupesh Gupta on Thursday, 27th August, after the question hour.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2-30 P.M.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at half past two of the clock, **MR. DEPUTY CHAIRMAN** in the Chair.

THE ORPHANAGES AND OTHER CHARITABLE HOMES (SUPERVISION AND CONTROL) BILL, 1959—
continued

श्री नवाबसिंह चौहान : श्रीमन्, जो आज-कल अनायालयों के नाम से बहुत सी संस्थाएँ—जिनको संस्था कहना कोई उचित नहीं